माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प-भोपाल (म.प्र.)

निग 2872-PBR-16

निगरानी क्रमांक .... /2016

अनुराग गृह निर्माण सह. समिति

द्वारा अध्यक्ष श्री सैयजू नारायण

सिमी अपार्टमेन्ट, फेस-I, पद्मनाथ नगर, भोपाल ..... आवेदक

विरूद्ध

(1) मोहम्मद शब्बीर आ. स्व. श्री शेख वाहीद

(2) मोहम्मद शाकिर पुत्र मोहम्मद शब्बीर

(3) मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद शब्बीर

(4) शाईन पुत्री मोहम्मद शब्बीर

(5) नसरीन पुत्री मोहम्मद शब्बीर

(6) शहनाज बी पुत्री मोहम्मद शब्बीर

(7) शमीम बी पुत्री मोहम्मद शब्बीर

(8) नसीम बी पुत्री मोहम्मद शब्बीर

सभी निवासीगण : 135, अशोक विहार एवं

मयूर विहार कॉलोनी, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.) ..... अनावेदकगण

(9) मेसर्स पीताम्बरा कन्स्ट्रक्शन

द्वारा संचालक उदय सिंह ठाकुर

निवासी : ए-2, बी ब्लॉक 16 अमर स्तम्भ, कॉम्पलेक्स,

जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल ..... प्रस्तावित पक्षकार

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र. भू.रा.सं.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल, एम.पी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 प्रतिलिपि प्राप्त दिनांक 04.08.2016 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर आवेदक उक्त आदेश के विरूद्ध निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

निरन्तर 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2872–पीबीआर/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	वकील एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–9–2016	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता व स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5–7–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि श्रीमती रेखा जैन की ओर से मुख्त्यारआम अविनाश कुदेसिया द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से अंश भाग को विकय मैसर्स पीताम्बरा कन्स्ट्रक्शन को किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे हितबद्ध पक्षकार मानकर अनावेदक कमांक 9 के रूप में पक्षकार बनाने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	